दैनिक भास्कर
बिलासपुर 29-07-2025

शिक्षा विभाग में प्राचार्य प्रमोशन पर स्टे, अफसरों ने आदिम जाति विभाग में पदोन्नति अटका दी

हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी टली, आज फिर होगी

भास्कर न्यूज | रायपुर

स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद पर प्रमोशन को रोक दिया गया है। सोमवार को इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण अधूरी रह गई। मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद ही प्राचार्य पदों पर पदोन्नति दी जाएगी, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रमोशन को लेकर किसी तरह की रोक नहीं है। उसके बावजूद अफसरों ने पोस्टिंग रोक दी है। स्कूल शिक्षा और आदिमजाति कल्याण विभाग में क्रमशः 10 व 12 साल से प्राचार्य पदों पर पदोन्नति नहीं हुई है। इस दौरान 75 प्रतिशत पद खाली हो चुके हैं। प्रदेश में 1897 हाई व 2886 हाई स्कूल हैं। इनमें 3576 पद खाली हैं। इसके बावजूद प्रमोशन में देरी की जा रही है। कई विरोधों के बाद अप्रैल में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की गई। मई-जून में प्रमोशन की लिस्ट भी जारी कर दी गई। पोस्टिंग के ठीक पहले कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। हाईकोर्ट ने जून में सुनवाई के बाद तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसी बीच सिंगल बैच में प्रमोशन-पोस्टिंग को लेकर याचिका दायर कर दी गई और कोर्ट ने स्टे दे दिया। उसी प्रकरण की सुनवाई सोमवार को अधूरी रह गई। मंगलवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को सारे दस्तावेजों के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर आदिमजाति कल्याण विभाग के शिक्षक 12 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जबकि उनकी प्रमोशन की सूची में किसी तरह का विवाद नहीं है।